सूखा सुरक्षा योजना वर्ष 2014–15 जनपद कन्नौज।

1– सूखा की स्थिति कन्ट्रोल रूम की स्थापना।
2– अधिकारियों का उत्तरदायित्व।
3– पेयजल व्यवस्था।
4– नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पाइप की व्यवस्था।
5– टैकर की व्यवस्था।
6– नलकूपों का रखरखाव।
7– नहरों का रखरखाव।
8– नियमित जलापूर्ति।
9– विद्युत आपूर्ति।
10– खाद्यान्न एवं डीजल की आपूर्ति की व्यवस्था।
11– संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा व्यवस्था।
12– पशुओं में फैलने वाले रोगों की रोकथाम एवं पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था।
13– खरीफ फसल।
14– खरीफ फसलों में होने वाले रोगों की रोकथाम एवं कीटनाषक दवाओं का प्रबन्ध।
15– सम्पूर्ण रोजगार योजना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना।
16– ग्रीष्म ऋतु में अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम की व्यवस्था।

जनपद में औसत से कम वर्षा होने के कारण जनपद में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने विभागों से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। ताकि शासन द्वारा जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने पर समस्त सूचनायें समय से प्राप्त हो सकें।

पेय जल व्यवस्था :–

पेयजल संकट उत्पन्न न होने पाये, इस हेतु सभी उप–जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों में उपलब्ध कुओं की संख्या तथा उनमें उपलब्ध पानी की मात्रा की रिपोर्ट मंगवा लें और जहॉ कुओं की सफाई आदि आवश्यक हो उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा ले। इन कुओं की सफाई नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

जनपद में नगर पालिका/नगर क्षेत्र समितियों के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति पाइप लाइन के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं एवं नगर क्षेत्र समितियों में नवीन हैण्डपम्प लगवाये जायें एवं नवीन नलकूपों में विद्युत संयोजन कराया जाये व पुराने खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं हैण्डपम्पों की रिवोरिंग तत्काल करायेंगे। यह भी सर्वे किया जाये कि हैण्डपम्प कहॉ–कहॉ खराब पडे हैं उनकी सूची अपने प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा उस सूची में यह भी विवरण दिया जाये कि कौन सा हैण्डपम्प कब स्थापित हुआ है। हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य तत्काल पूर्ण कर लिया जाये।

नगरीय क्षेत्र में हैण्डपम्प की व्यवस्था :–

वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों मे हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित, रिवोरिंग/मरम्मत का कार्य अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम, नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में 2803 हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिसमें 47 खराब

हालत में हैं तथा 2756 सही हालत में हैं। अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम तथा समस्त स्थानीय निकाय के अधिकारी खराब हैण्डपम्पों को तत्काल सही कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प की व्यवस्था :–

जनपद में वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में 25217 हैण्डपम्प स्थापित हैं जिसमें 250 खराब हालत में है तथा 24967 सही हालत में है। अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम तथा खण्ड विकास अधिकारी तत्काल खराब हैण्डपम्पों की सूची बनाकर मुख्य विकास अधिकारी उपलब्ध कराये। खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के लिये एक योजना तैयार करा लें। खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

टैंकर की उपलब्धता :–

इस समय नगर पालिका कन्नौज के पास 3 टैंकर छिबरामऊ के पास 2 टैंकर गुरसहायगंज के पास 3 नगर पंचायत तिर्वा के पास 1 नगर पंचायत समधन में 2 टैंकर तथा सिकन्दरपुर एवं तालग्राम में 1–1 टैंकर उपलब्ध है। सभी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत अपने टैंकर ग्रीम ऋतु में चालू हालत में रखेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा किल्लत है, में समय से जलापूर्ति सुनिश्चित करने की कार्यवाही दिनांक 18.04.2014 की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे। इस सम्बन्ध में भी भ्रमण कर लिया जाये कि जिससे यह ज्ञात हो सके कि पानी की समस्या किन क्षेत्रों में ज्यादा है।

नलकूपों का रखरखाव :–

जनपद में वर्तमान समय में 240 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिसमें 09 यान्त्रिक दोष से तथा 05 विद्युत दोष से नलकूप खराब हैं। सम्बन्धित विभाग यान्त्रिक दोष से खराब हैण्डपम्प चालू हालत में कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा विद्युत दोष से खराब हैण्डपम्प विद्युत विभाग द्वारा सही कराये जायेगे। यह भी सुनिश्चित किया जाये नलकूप चालक अपनी ड्यूटी पर समय से उपस्थित रहें। अधिशाषी अभि0 नलकूप सूखे की स्थिति को देखते हुए नलकूपों के यान्त्रिक दोष को ठीक करने हेतु आवश्यक सामान जैसे–वाइन्डिंग वायर, स्पेयर पार्टस आदि का प्रबन्ध पहले से सुनिश्चित कर लें।

निजी नलकूपों से सूखे पड़े तालाबों को कृषकों के सहयोंग से खण्ड विकास अधिकारी अपने–अपने पड़ने वाले क्षेत्र में भरने की कार्यवाही करायेंगे। नलकूपों से भी तालाबों से भरेने अथवा सींच कराने की कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी करायेंगे। समस्त खण्ड विकास अधिकारी सरकारी नलकूपों पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति की तैनाती करने एवं सरकारी नलकूपों की कमी से अधि0 अभि0 नलकूप को अवगत कराने की कार्यवाही करेंगे। नलकूपों का सत्यापन प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/लेखपाल करेंगे। कितने नलकूप खराब हैं इसकी आख्या उप–जिलाधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी समीक्षा करके मुख्य विकास अधिकारी को देंगे कि नलकूप का संचालन ठीक हो रहा है अथवा नहीं। यदि कोई आपरेटर नहीं पाया जाता है तो नाम सहित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

नहरों का रखरखाव एवं नियमित जलापूर्ति :–

जनपद कन्नौज में सिचांई खण्ड फर्रूखाबाद की 35 मैनपुरी प्रखण्ड निचली गंगा नहर कन्नौज की 11 एवं सिचाई खण्ड कानपुर की 2, कुल 48 नहरें हैं। नहरों के

माध्यम से सिचाई विभाग एवं नलकूप खण्ड द्वारा ग्रीष्म ऋतु मे सूखे पडे तालाबों के भरने की कार्यवाही की जायेगी। नपकूप निरन्तर चालू हालत में रखा जाये उसके साथ ही जो भी तालाब/पोखर भरा जाये उसकी सूची सम्बन्धित तहसीलदारों को उपलब्ध कराई जाये। तहसीलदारों द्वारा भरे हुए तालाबों को लेखपाल के माध्यम से चेक कराने की कार्यवाही करायी जायेगी। खरीफ की फसलो सींच दिये जाने हेतु नहरों का महत्व पूर्ण योगदान है। अतः खरीफ फसलों में सींच दिये जाने हेतु नहरों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः खरीफ फसलों में सींच दिये जाने हेतु नहरों को रोस्टर के अनुसार पूर्ण क्षमता से चलाया जाये। तालाबों को भरा जाने में यदि कोई कठिनाई आती है तो इसके निराकरण की कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार तथा सिचाई विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से सम्पादित करायें। प्रायः यह देखा गया है कि सूखे के दौरान सींच की समस्या हेतु अराजक तत्वों एवं कृषकों द्वारा नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुॅचने दिया जाता है। बीच में ही नहरों का कटान एवं बन्धे लगाने की कार्यवाही की जाती है। इस स्थिति को रोकने के लिये नहर विभाग में कार्यरत कर्मचारी दिन एवं रात में नहरों की पेट्रोलिंग करके कटिंग एवं बन्धों की प्रक्रिया रोकने में प्रभावी कार्यवाही करेंगे। इस हेतु जहां आवश्यक हो जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की सहायता भी ली जाय, प्रायः यह देखा गया है कि नहरों की कटिंग के प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस अधीक्षक इस व्यवस्था के लिये सम्बन्धित थानों में निर्देश जारी कर दें।

विद्युत–आपूर्तिः–

अधिशाषी अभियन्ता सूखे की स्थिति के दौरान विद्युत आपूर्ति पर कड़ी नजर रखेंगे। जनपद में जिन क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर लगे हुये हैं, लोड एवं अधिक बोल्टेज के कारण ट्रान्सफार्मरों के खराब होने की स्थिति आती है। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत, ट्रान्सफार्मर खराब होने की स्थिति में उन्हें सही कराने की कार्यवाही 24 घण्टे में करायेंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहां पानी की टंकिया बनी हुई हैं जिनसे वाटर सप्लाई किया जाता है, में भी पर्याप्त नियमति विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इस जनपद में 240 राजकीय नलकूप स्थापित हैं। यदाकदा इन नलकूपों में विद्युत दोष से खराबी होती रहती है। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत इन नलकूपों को समय से ठीक कराने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता विद्युत अपने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश भी दे दें।

खाद्यान्न एवं डीजल की आपूर्तिः–

जनपद में सरकारी नलकूपों के अतिरिक्त निजी नलकूपों कर मात्रा काफी है। जिसके लिये डीजल की आवष्यकता पड़ती है। जिला पूर्ति अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धता वनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा प्रत्येक डीजल पम्प पर निर्धारित मात्रा में **डीजल 3000** लीटर तथा **1000 लीटर पेट्रोल** आरक्षित करेंगे। जिसका विवरण जिला पूर्ति अधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदारें की मांग के आधार पर किया जायेगा। सूखा की स्थिति में खाद्यान्न आदि का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से कराया जायेगा। जनपद में 05 थोक विक्रेता मिटटी के तेल के कार्यरत है सूखा की सम्भावित स्थिति में सभी थोक मिटटी तेल विक्रेताओं को आपदा की स्थिति से निपटने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये है कि वह अपने रिजर्व स्टाक में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल रखें। पी0डी0एस0 के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद में 130429 कुंतल गेंहूॅ तथा 102468 कुन्तल चावल उपलब्ध है। उक्त खद्यान्न जनपद के खड़िनी एवं छिबरामऊ की

गोदामों में भण्डारित है जो आवश्यकता पड़ने पर आपदा की स्थिति में विभिन्न स्थानो के लिये ब्लाक स्तर पर प्रेषण किया जा सकेगा। वर्तमान में जनपद में खद्यान्न की कोई कमी नही है। जिला पूर्ति अधिकारी खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्षिता वनाये रखने हेतु कोटेदारों के विरूद्व शिकायत पाये जाने पर आकस्मिक चेकिंग करेंगे तथा गड़वड़ी पाये जाने पर कार्यवाही करेगे। इस सम्बन्ध में अभियान भी चलाया जाय।

संक्रामक रोगों की रोकथाम :–

ग्रीष्म ऋतु में संक्रामक रोगो जैसे हैजा, अतिसार, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू ज्वर आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। गन्दे व दूषित खाद्य पदार्थो, दूषित गन्ने का रस, सड़े गले फलों व खुले खाद्य पदार्थो की विक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षको के माध्यम से यह कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। पेयजल हेतु आपूर्ति किये जाने वाले पानी के नमूने लेने की व्यवस्था करे तथा इस बात का ध्यान रखे के पानी में समुचित मात्रा में क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर मिलाई जाती रहे। कुओं में डालने हेतु लाल दवा भी मुख्य चिकित्साधिकारी उपलब्ध करायेगे। मुख्य चिकित्साधिकारी संक्रामक रोगो हेतु निरोगात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा जिला मुख्यालय स्तर पर औषधियों/विद्याक्रमंको की पर्याप्त मात्रा में उलब्धता वनाये रखेगे। बैठक दिनांक 18.04.14 मे दिये गये निर्देशो के अनुसार मच्छर नियन्त्रक कार्यवाही के तहत् फागिंग मशीन सभी क्षेत्रों में कराये जाने हेतु समस्त स्थानीय निकायो के अधिकारी कार्यवाही सुनिश्चित करेगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय के अधिकारी बन्द पड़ी नाली ,वहता हुआ दूषित जल की चेंकिग करके सफाई व्यवस्था दिये गये निर्देशो के अनुसार करायेगे ।

पशुओं में फैलने वाले रोगों की रोकथाम एवं पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था :

ग्रीष्म ऋतु में पशुओ की बीमारियों की रोकथाम के लिये मुख्य पशु चिकित्साधिकारी टीकाकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सूखे की स्थिति में पशुओं में जनहित समस्याओं से निपटने हेतु पूर्व से कार्यवाही प्रारम्भ की जाये, जिसके लिये पशुपालन विभाग द्वारा चौपालों एवं पशुगोष्ठियों के माध्यम से पशुपालकों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिये उचित एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जाये। सूखे की स्थिति में अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण पशुओं में हीटोस्टोक एवं एक्यूटडी हाइड्रोजन की समस्या खुरपका, मुॅहपका रोग, गला घोटू रोग एवं परजीवी कीटाणुओं की समस्या उत्पन्न होती है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी इन रोगों के नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही अभी से कर लें तथा सूखे की स्थिति से हरे चारे में जहरीले पन की स्थिति उत्पन्न होने पर पशुपालकों को चौपालों, पशुगोष्ठियों एवं पशुमित्र मण्डलीयों के माध्यम से विशेष जानकारी की जाने की व्यवस्था मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करेंगे। पशुओं के लिये चारे में मुख्य रूप से भूसे की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में किसानो के पास पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध है। फिर भी जिला पशुधन अधिकारी अपने पशु चिकित्सालयों एवं खण्ड विकास कार्यालयों में चारे की व्यवस्था सूनिश्चित करेंगें। इस सम्बन्ध में धनाबंटन की मॉग शासन से अभी से कर ली जाये।

खरीफ फसल :–

जनपद में कुल क्षेत्रफल 208963 हेक्टेयर में 140325 हेक्टेयर शुद्ध रूप से कृषि के अन्तर्गत आच्छादित होता है। गतवर्ष जनपद में सूखे की स्थिति नहीं रही थी।

जनपद का सिंचित क्षेत्रफल 80 प्रतिशत है। जनपद में वर्षा का आगमन प्रायः 20 जून से होता है, जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय होने तथा इसके पश्चात् अगस्त में दक्षिण भाग में मानसून सक्रिय होने के कारण वर्षा होती है। जनपद में वर्षा की 4 स्थितियॉ सम्मिलित हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूखा की स्थिति से पूर्व जिला कृषि अधिकारी खाद बीज उर्वरक आदि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लें, ताकि सूखा की स्थिति में कृषकों को खाद बीज उर्वरक आदि मुहैया कराने में न्यूनतम असुविधा हो। इस सम्बन्ध में शासन से धनावन्टन आदि की मॉग अभी से कर ली जाये। जिला कृषि अधिकारी एवं समस्त उप– जिलाधिकारी सूखे की स्थिति होने की दशा में फसलों की क्षति होने पर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के निर्धारण के लिये जायद एवं खरीफ की फसलों की सही प्रकार से पडताल करेंगे तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रफल एवं उसमें फसल की क्षति का निर्धारण करते हुए कृषकों को देय सहायता का प्रस्ताव मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगे।

1–मानसूनी वर्षा विलम्ब से होने की दशा में :–

जनपद में वर्षा सामान्यतः जून के द्वितीय पक्ष से प्रारम्भ होती है लेकिन यदि वर्षा समय से प्रारम्भ नहीं होती है तो खरीफ उत्पादन में सम्भावित क्षति को रोकने अथवा कम करने के लिये निम्न आकस्मिक योजना कियान्वयन की जायेगी।

अ यदि वर्षा विलम्ब से अथवा 30 जून के बाद प्रारम्भ होती है तो ऐसी स्थिति में धान की अधिक उपज उपजदायी मध्यम अवधि की एन0डी0आर0 359, सीजू 52, पन्त 4, पन्त 10, सीता आई0आर0 8, पी0एन0आर0 381, आदि प्रजातियों की समय से बुबाई बोई गई नर्सरी की रोपाई देर तक करनी होगी। विलम्ब तक रोपाई करने पर पौधे से पौधे की दूरी कम करके एक स्थान पर 3–4 पौधे तथा एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 65 से 70 स्थानों पर रोपाई कराई जाये।

ब यदि मानसूनी वर्षा जुलाई के बाद अथवा अधिक विलम्ब से होती है तो उस स्थिति में धान की कम अवधि मे तैयार होने वाले प्रजाति जैसे साकेत 4, नरेन्द 80, नरेन्द 97, नरेन्द 118, पन्त 12, आदि प्रजातियों की रोपाई कराई जाये।

स धान वाले क्षेत्रों तथा निचले क्षेत्रों में यदि 15 जुलाई के बाद वर्षा होती है और रोपाई के लिये नर्सरी उपलब्ध नहीं होती है तो उस स्थिति मे जल्दी पकने वाली धान जैसे–साकेत 4, नरेन्द 80, नरेन्द 97, पन्त 12, आई0आर 50 आदि प्रजातियों सीधी बुवाई कराई जाये।

द यदि मानसूनी वर्षा अति विलम्व से होती है और जुलाई के वाद माह में धान की रोपाई/बुवाई न होने के कारण खेत खाली रह जाते हैं तो उस दशा में कम तैयार होने वाले वाजरे की शंकर/शंकुल प्रजातियों, उर्द, मूॅग तथा तिल की बुवाई कराई जाये। इसके लिये आवश्यक है कि इन फसलों की क्षेत्र विशेष के लिये उपर्युक्त प्रजातियों के बीजों की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाये तथा खरीफ फसलों के अन्य कृषि निवेश जैसे–उर्वरक कृषि रक्षा रसायन क्रय के लिये किसानों को और अधिक फसली ऋण की व्यवस्था का प्रबन्ध कर लिया जाये और इसकी उपलब्धता देय राजकीय सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये, जिससे प्रभावित किसान इससे भरपूर लाभ उठा सके।

2–मानसूनी वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में अवर्षण होने की दशा में :–

कभी–कभी खरीफ में वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में रूक जाती है और यदि अवर्षण की स्थिति 10 से 15 दिनों से अधिक होती है तो बोई गई फसलें सूखने लगती हैं ऐसी स्थिति में :–

अ फसलो को बचाने के लिये सुरक्षात्मक सिचाई की व्यवस्था परम आवश्यक है, जिसके लिये :–

क नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुॅचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

ख नहरों में अवैध कटानों पर नियन्त्रण कराया जाये।

ग समस्त राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जाये।

घ खराब होने वाले नलकूपों की तुरन्त मरम्मत कराई जाये।

ड़ डीजल/विद्युत की नियमित आपूर्ति कराई जाये।

इस प्रकार से सिंचाई के उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग करते हुए फसलों की क्षति को बचाया जाये आवश्यक होगा कि इस अवधि में उपरोक्त संसाधनों के चलते रहने की समय से समीक्षा की जाती रहे।

ब यदि बीच में अवर्षण की स्थिति के कारण कुछ फसलें सूख जाती हैं तो वाद में वर्षा होने की दशा मे कम समय में तैयार होने वाली शंकर वाजरा, उर्द मॅूग तथा तिल की फसलों की बुवाई कराई जाये।

स खडी फसलों वाले खेतों में भूमि में नमी संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। फसलों में इन्टर कल्चर एवं मल्चिक क्रियाओं के लिये प्रेरित किया जाये।

द यदि अवर्षण की स्थिति अगस्त के तीसरे सप्ताह में बनी रहती है तो इस दशा में उर्द एवं तिल की बुवाई की जाये तथा सितम्बर के प्रथम पखवारे में राई/सरसों तथा तोरिया की बुवाई कराई जाये।

3– मानसूनी वर्षा समय से पहले समाप्त होने की दशा में :–

जनपद में वर्षा सामान्यतः 30 जून से प्रारम्भ होकर सितम्बर तक होती है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में छुट–पुट वर्षा हो जाती है। कभी–कभी यह मानसून वर्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह या सितम्बर माह में ही समाप्त हो जाती है। खरीफ की प्रमुख धान को भारी क्षति हो सकती है। इस सम्भावित क्षति को रोकने के लिये :–

अ वर्षा का जो पानी संचय वांधों में उपलब्ध है उसको फसलों को बचाने के लिये प्रयोग किया जाये।

ब नहरों तथा नलकूपों की नालियों को ठीक दशा में रखा जाये। जल की कम से कम क्षति हो।

स खेतो में जुताई डाल के विपरीत की जाये तथा किसानों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाये कि वह खाली खेतों की जुताई सायं काल करके अगले दिन प्रातः पाटा लगायें, जिससे रात में पड़ी ओस को नमी के रूप में अधिक कम संचय हो सके।

4– मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होने तथा जलमग्नता की स्थिति में :–

यदि सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो जलभराव की स्थिति हो सकती है इसके फलस्वरूप समय से बोई हुई धान की नर्सरी या रोपी गई धान की फसलें बह जाती हैं और यदि जल भराव की स्थिति अधिक समय तक बनी रह जाती है तो बोई हुई अन्य फसलें भी नष्ट हो जाती हैं।

अ सामान्यतः जलभराव वाले क्षेत्र पहले से ही मालूम रहते हैं उन क्षेत्रों में धान की प्रजाति मंसूरी टा–36, टा 100 एवं क्रास 116 जलनहरी मधुकर, जलप्रिया, जलनिधि आदि को प्राथमिकता दी जाये।

ब अधिक वर्षा से फसले नष्ट हो जाती हैं तो उनकी दुवारा रोपाई/बुवाई में इस बात का ध्यान रखा जाये ऐसी स्थिति में उन प्रजातियों को बोया जाये जो जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं।

स यदि अगस्त के महीनें में अधिक वर्षा के कारण जल मग्नता की स्थिति आती है तो बाढ़ के कम होने तुरन्त बाद यूरिया की ट्रापडेसिंग कराई जाये क्योंकि इससे काफी सीमा तक फसलों की क्षति कम हो सकती है। यदि बाढ़ की स्थिति सितम्बर माह के प्रारम्भ में आती हो तो इस दशा मे उर्द, मूँग, तोरिया, सूरजमुखी को विशेष रूप से बढावा दिया जाये। जिला कृषि अधिकारी सूखे की स्थिति के समय इन स्थितियों पर नजर रखेंगे तथा सूखे की स्थिति से निपटने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की कार्यवाही करायेंगे।

खरीफ फसलों में होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाओं का प्रबन्ध :–

जिला कृषि रक्षा अधिकारी खरीफ फसलों में होने वाले रोगों के नियन्त्रण के लिये सभी विकास खण्डों में पर्याप्त मात्रा में रसायन उपलब्ध करायेंगे। इनके वितरण की कार्यवाही विकास खण्ड स्तर पर कृषि रक्षा इकाई के माध्यम से तैनात विकास अधिकारी (रक्षा) एवं कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में स्थिति कृषि रक्षा रसायनों के निजी विक्रेताओं द्वारा भी कृषि रक्षा रसायनों के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना :–

ग्राम विकास विभाग सूखे के पूर्व अपने विभाग की योजनाओ व कार्यो की तैयारी अभी से करना सुनिश्चित करें, जनपद में खण्डवार योजनाओं व कार्यो का प्रारूप तैयार कराकर रखा जाये जिसके आधार पर आवश्यकता पडने पर जरूरत मन्द लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में तालाबों को गहरा करना, भरवाया जाना आदि कार्यो को रोजगार परक योजनाओं में सम्मिलित कर लें।

ग्रीष्म ऋतु में अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम की व्यवस्था :–

ग्रीष्म ऋतु में सूखे पदार्थो की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओ में भी बृद्धि होती है जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है इसके लिये आवश्यक है कि अग्निकांड न्यूनीकरण हेतु आम लोगो को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन सेवाओं का तत्काल उपयोग हो सके। इसकी व्यवस्था पुलिस अधीक्षक पहले से ही सुनिश्चित कर लें।

सभी जनपद स्तरीय अधिकारी अपने विभाग में जिन कार्यो हेतु धन आदि की मॉग की जानी हो अभी से करना सुनिश्चित करें वर्ष 2002 , 2004 व 2009 के सूखे के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए यह मानकर चलना चाहिये कि यदि सूखा की स्थिति आती है तो उससे पूर्व सभी तैयारियां अभी से पूर्ण कर ली जायें। सूखा घोषित किये जाने के पश्चात सूखा राहत कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपनी–अपनी ड्यूटी पर पहुॅच कर राहत कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे। सूखे से उत्पन्न समस्या की जानकारी सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/जिला

मुख्यालय को संगत सूचनाओं सहित अवश्य दी जायें ताकि समस्या के निराकरण में विलम्ब न हो और कार्यवाही में तेजी आ सके ।

जनपद– कन्नौज के प्रमुख अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

क्र0	अधिकारी का पद नाम	कार्यालय	मोवाइल न0	आवास
1	जिलाधिकारी	235474	9454417555	234500
2	पुलिस अधीक्षक	234808	9454400287	235439
3	अपर जिलाधिकारी वि0/रा0	234697	9454417626	235960
4	मुख्य विकास अधिकारी	235898	9454464991	235897
5	उप जिलाधिकारी कन्नौज	235473	9454416467	234220
6	उप जिलाधिकारी छिबरामऊ	220879	9454416468	220879
7	उप जिलाधिकारी तिर्वा	261800	9454416469	261122
8	तहसीलदार कन्नौज	235473	9454416470	235473
9	तहसीलदार छिबरामऊ	220879	9454416471	220405
10	तहसीलदार तिर्वा	261800	9454416472	–
11	अधि0 अभि0 जलनिगम	234671	9473942759	–
12	अधि0 अभि0 विद्युत	234665	9415909701	–
13	अधि0 अभि0 नलकूप	235197	9454415460	–
14	जिला कृषि अधिकारी	235898	8052582187	–
15	परियोजना निदेशक	235898	9454464992	
16	मुख्य चिकित्साधिकारी	237316	9415126036	
17	जिला समाज कल्याण अधिकारी	237476	9450236380	
18	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	236869	9412554315	
19	जिला सूचना अधिकारी	234697	9453005388	
20	जिला पंचायत राज अधिकारी	234774	9451758745	
21	खण्ड विकास अधिकारी कन्नौज	235541	9454464998	
22	खण्ड विकास अधिकारी जलालाबाद	272436	9454464992	
23	खण्ड विकास अधिकारी छिबरामऊ	221024	9454464994	
24	खण्ड विकास अधिकारी तालग्राम	253972	9454464992	
25	खण्ड विकास अधिकारी सौरिख	248091	9454464996	
26	खण्ड विकास अधिकारी उमर्दा	261116	9454465004	
27	खण्ड विकास अधिकारी हसेरन	273033	9454465004	
28	खण्ड विकास अधिकारी गुगरापुर		9454465005	
29	अधि0 अधिकारी नगर पालिका कन्नौज	234616	9837823058	234432
30	अधि0 अधिकारी नगर पालिका छिबरामऊ	220539	9412330679	
31	अधि0 अधिकारी नगर पालिका गुर0	253538	9837823058	
32	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत तिर्वागंज	261759	8960320517	
33	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत तालग्राम	242025	9415779211	
34	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत सौरिख	263306	9917814344	
35	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत समधन	253583	9936233675	

36	अधि0 अधिकारी नगर पंचायत सिकन्दरपुर	220539	9415779211	

अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
कन्नौज